अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029

वित्त प्रभाग

फा.सं.47/01/एचबीएस/22-23/01 दिनांक:

विषय: एम्स, नई दिल्ली में ए श्रेणी/डीलक्स वैयक्तिक वार्ड कक्ष पर 5% की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाए जाने संबंधी।

****

अधोहस्ताक्षरी को, भारत सरकार की, अस्पताल द्वारा प्रति रोगी से प्रति दिन रु. 5000/- से अधिक किराए वाले कमरे (आईसीयू के अतिरिक्त) पर 5% की दर से जीएसटी लगाने की अधिसूचना के अनुसार, यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि 18 जुलाई 2022 से अस्पताल के वैयक्तिक वार्ड में भर्ती रोगियों से कमरे के किराए हेतु निम्नलिखित संशोधित अस्पताल शुल्क लिया जाएगा :

कमरे का किराया : रु. 6000+जीएसटी 5% = 6300/- प्रति दिन ('ए' श्रेणी/डीलक्स कमरों हेतु)

आहार शुल्क : रु. 300/- प्रति दिन (रोगियों हेतु - वैकल्पिक तथा/अथवा परिचरों हेतु- यदि विशेष रूप से अनुरोध किया गया है)

रोगियों हेतु 'ए' श्रेणी/डीलक्स कमरे के लिए 10 दिनों की अग्रिम राशि रु. 66000/- होगी जिसमें जीएसटी (5%) एवं आहार शुल्क शामिल है।

इसे निदेशक, एम्स, नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(नरेंद्र भाटिया)
वित्त सलाहकार

वितरण:

1. चिकित्सा अधीक्षक
2. केन्द्रों के प्रमुखगण/विभागाध्यक्षगण/ एककों के प्रभारीगण
3. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा- इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा संस्थान में एनआईसी प्रणाली में कार्यान्वयन हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने के अनुरोध सहित।
4. अस्पताल प्रशासन के सभी संकाय-सदस्यगण
5. सभी वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारीगण/लेखा अधिकारीगण
6. लेखा अधिकारी (कैशियर प्रकोष्ठ) सभी कैशियरों को इस संबंध में निदेश देने हेतु
7. सीएनओ - अस्पताल तथा सभी केन्द्रों के वैयक्तिक वार्डों के डीएनएस/एएनएस प्रभारीगण हेतु 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित- ताकि वैयक्तिक वार्ड के कमरों में वर्तमान में भर्ती सभी रोगियों को वैयक्तिक वार्ड के कमरों के संशोधित प्रभार को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हो सके।
8. सभी ओपीडी/वार्ड/वैयक्तिक वार्ड (सीएनओ द्वारा)

प्रतिलिपि:

सूचना हेतु- निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव/ संकायाध्यक्ष/उप-निदेशक (प्रशा.) /अध्यक्ष कार्यालय/ चिकित्सा अधीक्षक/ उप-सचिव के निजी सचिव।